आदर्श विद्यालय
आदर्श शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2715532 E-mail: adrutrsmsa@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / आदर्श विद्यालय / 2019–20 / 10706 दिनांक: 24.02.2020 24.02.2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिला।

विषयः– वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह एवं अलुम्नाई मीट के संबंध में।
संदर्भः– कार्यालय पत्रांक रास्कूलशिप / जय / 7050 / दिनांक 24.10.2019 एवं 9101 दिनांक 08.01.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एंव संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य के आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह एवं अलुम्नाई मीट–2020 का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम हेतु जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा मार्गदर्शन अपेक्षित है, लेकिन राज्य की विधानसभा का बजट सत्र जारी होने से उक्त कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की व्यस्तता के कारण मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाया है।

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व के आदेश क्रमांक 9101 दिनांक 08.01.2020 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पंचायत आदर्श आचार संहिता की समाप्ति पश्चात एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं से पूर्व आयोजन किया जाना था लेकिन अब पूर्व आदेश को संशोधित करते हुए समस्त आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह एवं अलुम्नाई मीट–2020 का शत प्रतिशत आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं में बिना व्यवधान के 31 मार्च, 2020 तक आयोजित किये जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

(अभिषेक भगोतिया)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप–जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
7. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय, रास्कूलशिप–जयपुर।
8. आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय योजना प्रकोष्ठ, निदेशालय, बीकानेर।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय), समस्त जिले।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय), समस्त जिले।
12. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक